

MORMUGAO PORT TRUST
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Ref. No. GAD/PC-B/3(1)/2021/1857

Date: 26/11/2021

OFFICE ORDER NO. 21 /2021

Sub: Re-constitution of Internal Complaints Committee to redress Complaints on sexual harassment of women at workplace - reg.

In supersession of Office Order No. 21/2018 issued under ref.no. GAD/PC-B/3(1)/ 2021/2703 dated 29.11.2018, the Internal Complaints Committee to redress the complaints of sexual harassment of women at workplace has been re-constituted as under :-


1. Dr. (Smt.) Manju Khandeparkar, Presiding Officer
Dy. CMO (Gen. Duty), Medical Dept
2. Shri Santosh A. Naik, Member
Law Officer Gr. II, Gen. Admn. Dept
3. Smt. Rita Vaz, Member
Stores Officer (B&C)/Engg. Mech. Dept.
4. Smt. Leela Kamble, Member (NGO)
H. No. 206, Behind MPT Ground,
Patrong Baina, Vasco-da-Gama, Goa.

2. The Internal Complaints Committee shall receive and redress complaints of sexual harassment and also implement the policies relating to the prevention of the sexual harassment. The Committee shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority and the report of the Committee will be treated as an Inquiry report.

3. The Internal Complaints Committee shall submit an Annual Report (financial yearly) regarding number of cases received and their disposal in the prescribed *pro forma* to the Chairman/MPT on or before 5th April, every year. The Committee shall meet once in a quarter even if there is no live case and review preparedness to fulfill requirements of the mechanism for redressal of complaints on sexual harassment and shall maintain necessary record of such meetings.

4. The tenure of the above Internal Complaints Committee shall be of three years from the date of issue of this Office Order.

5. This issues with the approval of the Competent Authority.


25/11/2021
(T.K. Hazra Choudhury)
SECRETARY

Copy to:

1. Dr. (Smt.) Manju Khandeparkar,
Dy. CMO (Gen. Duty), Medical Dept. ... Thro' CMO(i/c)/MPT
2. Shri Santosh A. Naik,
Law Officer Gr. II, Gen. Admn. Dept ... Thro' Secretary/MPT
3. Smt. Rita Vaz,
Stores Officer (B&C)/Engg. Mech. Dept ... Thro' CME/MPT
4. Smt. Leela Kamble,
H. No. 206, Behind MPT Ground,
Patrong Baina, Vasco-da-Gama, Goa.

- c.c. to:
1. Chairman's table ... for information.
 2. Dy. Chairman's table ... for information.
 3. All HODs./MPT ... for wide publicity among the staff
 4. Dr. Gloria D'Silva e Kamat/Dy. CMO (Spl.) &
outgoing Presiding Officer – She is requested to hand over all office
records & documents to Dr. Manju Khandeparkar, Dy. CMO,
(Gen. Duty) & Presiding Officer.
 5. Asst. Director (EDP) .. To upload the Office Order on MPT Website
 6. The President, M.P.T. Officers' Association.
 7. The President, Goa Port & Dock Employees' Union.
 8. The President, Mormugao Port & Railway Workers' Union.
 9. Notice Board of GAD
 10. M/file.

मुरगांव पत्तन न्यास
सामान्य प्रशासन विभाग

सं. सं. जीएडी/पीसी-बी/3(1)/2021/1857

दिनांक: 26/11/2021

कार्यालय आदेश संख्या 21/2021

**विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के
निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन**

सं. सं. जीएडी/पीसी-बी/3(1)/2021/2703 दिनांक 29.11.2018 के तहत जारी कार्यालय आदेश संख्या 21/2018 के अधिक्रमण में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया गया है: -

1. डॉ. (श्रीमती) मंजु खांडेपारकर, पीठासीन अधिकारी
उप. सीएमओ (सामान्य ड्यूटी),
चिकित्सा विभाग
2. श्री संतोष ए. नाईक, सदस्य
विधि अधिकारी ग्रेड II,
सामान्य प्रशासन विभाग
3. श्रीमती रीटा वाज़, सदस्य
स्टोर अधिकारी (बी एण्ड सी),
इंजी. (यांत्रिकी) विभाग
4. श्रीमती लीला कांबले सदस्य (एनजीओ)
मकान नं. 206, एमपीटी ग्राउंड के पीछे,
पेट्रॉग बायना, वास्को-द-गामा, गोवा

2. आंतरिक शिकायत समिति, यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका निवारण करेगी और साथ ही यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधित नीतियों को लागू करेगी। समिति को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा और समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

3. आंतरिक शिकायत समिति को प्राप्त मामलों की संख्या और उनके निपटान संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष) विहित प्रोफार्मा में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को या उससे पहले अध्यक्ष/एमपीटी को प्रस्तुत करनी होगी। समिति को कोई तत्कालीन मामला न होने पर भी तिमाही में एक बार बैठक कर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए कार्यप्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयारी की समीक्षा करनी होगी और ऐसी बैठकों के आवश्यक रिकॉर्ड रखने होंगे।

4. उपरोक्त आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल, यह कार्यालय आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि का होगा ।
5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

टी. के. हीजरा चौधरी
(टी. के. हीजरा चौधरी)
सचिव

सेवा में,

1. डॉ. (श्रीमती) मंजु खांडेपारकर, द्वारा मु.चि.अ.(प्रभारी)/एमपीटी
उप. सीएमओ (सामान्य ड्यूटी),
चिकित्सा विभाग
2. श्री संतोष ए. नाईक, द्वारा सचिव/एमपीटी
विधि अधिकारी ग्रेड II, 3
सामान्य प्रशासन विभाग
3. श्रीमती रीटा वाज़, द्वारा सीएमई/एमपीटी
स्टोर अधिकारी (बी एंड सी),
इंजी. (यांत्रिकी) विभाग
4. श्रीमती लीला कांबले
मकान नं. 206, एमपीटी ग्राउंड के पीछे,
पेट्रॉग बायना, वास्को-द-गामा, गोवा

- प्रतिलिपि :
1. अध्यक्ष के पटल हेतु ... सूचनार्थ
 2. उपाध्यक्ष के पटल हेतु ... सूचनार्थ
 3. सभी विभागाध्यक्ष ...कर्मचारियों में विस्तृत प्रचार हेतु
 4. डॉ. ग्लोरिया डिसिल्वा ई कामत/उप सीएमओ (विशेष) व निर्गामी पीठासीन अधिकारी -सभी कार्यालय रिकार्ड तथा दस्तावेज डॉ. मंजू खांडेपारकर, उप सीएमओ (सामान्य ड्यूटी) व पीठासीन अधिकारी को संपूर्ण करने के अनुरोध से।
 5. सहा.निदेशक(ईडीपी) ...कार्यालय आदेश एमपीटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 6. अध्यक्ष, एमपीटी आफिसर्स एसोसिएशन
 7. अध्यक्ष, गोवा पोर्ट एण्ड डॉक एमप्लॉईस यूनियन
 8. अध्यक्ष, मुरगांव पोर्ट एण्ड रेल्वे वर्कर्स यूनियन
 9. सूचना पट्ट/जीएडी
 10. मस्टर फाईल